# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

**अवमानना याचिका संख्याः–26/2014**

**अपील संख्या :– 27/2012**

आजाद कुमार गौड़ –अपीलार्थी

बनाम

1. श्री नरेश पाल गंगवाल, सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
2. श्रीमती कृष्णा चौहान, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर मण्डल उदयपुर।
3. श्री मुरारी लाल शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, चित्तौड़गढ़।
4. श्री कैलाश चन्द्र जोशी, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, प्रतापगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

**आदेश की दिनांक** : 07.11.2023

**<u>उपस्थित –</u>**
**अपीलार्थी की ओर से** : कोई उपस्थित नहीं
**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)**
**असलम मेहर, सदस्य**

## <u>आदेश</u>

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस अधिकरण के द्वारा अपील संख्या 27/2012 में पारित ओदश दिनांक 30.05.2013 की पालना की जा चुकी है। उक्त आदेश की पालना में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा चित्तौड़गढ़ द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 23.10.2015 जारी किया गया है। जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता के कथन को दृष्टिगत रखते हुए एवं इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, चित्तौड़गढ द्वारा इस अधिकरण के आदेश की पालना में अपीलार्थी को लाभ देते हुए आदेश दिनांक 23.10.2015 जारी किया गया है। हम इस अवमानना याचिका में आगे की कार्रवाई करना उचित नहीं पाते हैं।

अतः उक्त अवमानना याचिका में कार्रवाई ड्रॉप की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

**(असलम मेहर)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य(न्यायिक)**